न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :मिलक
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202113590203079
वाद संख्या:- 3079/2021
अनिल गंगवार बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/10/2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक अनिल गंगवार पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम धनेली उत्तरी तहसील मिलक जिला रामपुर द्वारा आर0सी0 प्रपत्र 25 अन्त्रगत धारा 80 उ0प्र0रा0सं02006 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर प्रारम्भ की गयी। आवेदक द्वारा आराजी स्थित ग्राम खाता कलां तहसील मिलक, जिला रामपुर की गाटा संख्या 681 रक्बा 0.987है0 भूमि को आकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र जांच हेतु तहसीलदार मिलक को प्रषित की गयी। तहसीलदार मिलक ने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से जॉच कराते हुये अपनी संस्तुति सहित आख्या द्वारा अपनी आख्या दिनांक 29.09.2021 प्रेषित की गयी। तहसीलदार मिलक ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि ग्राम खाता कलां तहसील मिलक, जिला रामपुर की गाटा संख्या 681 रक्बा 0.987है0 पर आवेदक अनिल गंगवार पुत्र धनेली उत्तरी निवासी तहसील मिलक जिला रामपुर में श्रेणी 1 (क) का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार एवं काबिज आराजी है। कुल रक्बा 0.987है0 वाणिज्यिक उपयोग की है। सर्किल रेट के अनुसार भूमि का मूल्यांकन एक करोड पचास लाख रू0 प्रति हेक्ट0 की दर से रक्बा 0.987है0 पर 10,363,500 रू0 होता है जिसका एक प्रतिशत 103635/-रू0 देय है। स्थल पर किसी भी प्रकार का कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है। सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। रक्बा 0.987है0 में स्थल पर किसी भी प्रकार का कुक्कट पालन , मछली पालन व किसी अन्य तरह का कृषि कार्य न हाने के कारण आकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

उ0प्र0रा0संहिता नियमावली 2016 के नियम-85(2) के अंतगत एक प्रतिशत उदघोषणा शुल्क देय है। तथा नियम 191(2) के अंर्तगत परिशिष्ट -1 में वर्णित न्यायालय शुल्क देय है। आवेदक द्वारा गाटा संख्या 681 रक्बा 0.987है0 का एक प्रतिशत उदघोषणा शुल्क व एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क देय है। जो कि आवेदक के द्वारा जमा नहीं किया गया है।

मैने तहसीलदार मिलक की जॉच आख्या दिनांक 29.09.2021 एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अभिलेखों का परिशीलन किया। संलग्न फोटो ग्राफ से स्पष्ट से होता है कि आराजी स्थित ग्राम खाताकलां तहसील मिलक, जिला रामपुर की गाटा संख्या 681 रक्बा 0.987है0 पर निर्माण कार्य चल रहा है। व मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि को अंर्तगत धारा 80(2) उ0प्र0रा0सं02006 गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अडचन नही है। एवं वादी ने दिनांक 28.10.2021 शपथ प्रस्तुत करते हुए कहा कि बह पांच वर्ष के अन्दर उक्त आराजी पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगा। व उ0प्र0रा0सं02006 80(1) के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन करेगा।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम खाता कलां तहसील मिलक की गाटा संख्या 681 रक्बा 0.987है0 पर धारा 80(2) के अन्दर निर्माण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है व उक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक घोषित किया जाता है। आवेदक पांच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उदघोषणा शुल्क व न्यायालय शुल्क जमा कर उ0प्र0रा0सं02006 80(1) के अन्त्रगत आवेदन करे। यदि आवेदक पांच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कर उदघोषणा शुल्क व न्यायालय शुल्क जमा कर उ0प्र0रा0सं02006 80(1) के अन्त्रगत आवेदन नहीं करता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

परवाना अमल दराममद जारी हो। आदेश की सत्यप्रतिलिपि उप निबन्धक मिलक, रामपुर एवं वादी को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवष्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित कराई जाये।

दिनांक-27.10.2021

(निरंकार सिंह)
उप जिलाधिकारी मिलक।
जिला रामपुर

निर्णयादेश आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी मिलक,
जिला रामपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"